

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कोटा
कार्यालय आदेश

गुरु नानक देव प्रेस ट्रस्ट द्वारा संचालित
गुरु नानक पाठशाला स्कूल बड़गाँव कोटा को

निरीक्षण दल की अभिशपा के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की मान्यता दिनांक 1/7/2003 से एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

विभागीय नियमों की पालना नहीं किये जाने पर मान्यता निरस्त किये जाने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है। विद्यालय में राज्य पुस्तक मण्डल द्वारा संचालित पुस्तकें ही कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संचालित करें एवं प्रशिक्षित अध्यापक ही शिक्षण कार्य हेतु लगाये जावें। इसकी कठोरता से पालना की जावे। प्रथम सत्र में कक्षा 6 ही संचालित करें तथा अगले सत्र में अगली कक्षा क्रमोन्नत करें।

Sd/-
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक कोटा

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/को/मान्यता/2003-04/

790

दिनांक 29/3/03

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
2. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग, कोटा
3. व्यवस्थापक/प्रधानाध्यापक सम्बन्धित विद्यालय गुरु नानक पाठशाला स्कूल बड़गाँव कोटा
4. रक्षित पत्रावली

Sd/-
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक कोटा